[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 सितम्बर,2017

अधिसूचना सं0 29/2017- एकीकृत कर (दर)

सा0का0िन0 (अ)- एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पिठत केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, एकीकृत कर (दर), दिनांक 28जून 2017, जिसे सा0का0िन0 670 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित किया गया था, में निम्निलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्ट में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

A 5801 कॉरडरॉय

[फा0 सं0.354/117/2017-टीआरयू- भाग II]

(मोहित तिवारी) अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणः मूलअधिसूचनासं० 5/2017- एकीकृत कर (दर) (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.िन. 670(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग -।।, खंड -3, उपखंड (i)में, प्रकाशित की गई थी।